" देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जानेवाली
हिन्दी ही राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी
है । "

- सुभाषचन्द्र बोस

अध्याय - १

प्रास्ताविक

१.१ विषयप्रवेश
१.२ समस्या शब्दांकन
१.३ संशोधन विषयका महत्व और व्याप्ती
१.४ संशोधनसे संबंधित साहित्यका समालोचन
१.५ संशोधनका उद्देश्य
१.६ संशोधन पध्दति
१.७ संशोधनकी मर्यादा
१.८ प्रकरणीकरण.

१.१ विषय प्रवेश -

भारतमें आज कोठारी आयोगके मार्गदर्शक तत्वके अनुसार ' त्रिभाषा सूत्र ' स्वीकृत किया है, इसके अनुसार आज प्रांतीय भाषा, राष्ट्रभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषाका अभ्यास सभी माध्यमिक स्कूलमें हो रहा है ।

भाषा अभिव्यक्तिका साधन है । हम अपने मनोभावों, कामनाओं, इच्छाओं आदिकी अभिव्यक्ति भाषा माध्यमसे ही करते हैं । भाषा चिन्तन, स्वं मननका आधार स्वं ज्ञानमहल की ठोस नींव है । भारत के सात राज्योंकी मातृभाषा हिन्दी है और अन्य राज्यभी इसे राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा या द्वितीय भाषाके रूपमें अपनाये हुए हैं । इसी कारण हिन्दी-शिक्षण के प्रति विशेष सावधानी रखी जानी चाहिए ।

माध्यमिक स्कूलमें हिन्दी पढाने के लिए जो अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं, उनसे यह आशा की जाती है कि वे विद्यार्थियोंको इस योग्य बनाएँगे कि वे शुध्द हिन्दीमें मौखिक या लिखित आत्माभिव्यक्ति कर सकें । इस बारेमें हिन्दी भाषा के विद्यार्थियोंसे अध्यापकोंसे जो आशा की जाती है, उसे वे पूरा नहीं कर पा रहे, ऐसा प्रस्तुत संशोधक को, छात्राध्यापकों के हिन्दी पाठ निरीक्षण करते समय महसूस हुआ ।

हिन्दी भाषा उसका साहित्य और उसके प्रयोगके बारेमें उपेक्षाका वातावरण दिखाई दिया । राष्ट्रभाषाके प्रति होनेवाला आदर, राष्ट्रभाषाका महत्व समझनें के प्रति अध्यापकोमें और विद्यार्थियोमें उदासिनता दिखाई दी । इस स्थितिका निरीक्षण कर, प्रस्तुत समस्या निर्माण हुअी ।

संशोधनके लिए यही समस्या चुननेका और भी एक कारण यह है कि, पाठ निरीक्षण करते समय माध्यमिक स्कूलके अध्यापकोंने इस विषयसे संबंधित समस्या चर्चाद्वारा प्रस्तुत संशोधकके पास उपस्थित की ।

भारतीय संविधानने हिंदीको राष्ट्रभाषा के रूपमें घोषित करनेके बाद हिन्दी प्रदेशोंके साथ साथ अहिन्दी प्रदेशोंमेंभी द्वितीय भाषाके रूपमें हिन्दी भाषाके अध्ययन-अध्यापनको एक निश्चित दिशा प्राप्त हुई। वास्तविक हिन्दी शिक्षण को और भी अधिक सशक्त एवं लोकप्रिय बनाना आवश्यक है। इस दृष्टिकोनसे विचार करने पर ऐसा विदित होता है कि, हिन्दी शिक्षण के सन्दर्भ में अभी भी हमें बहुत कुछ लिखना, पढना, सिखना एवं संशोधनभी करना अत्यावश्यक है।

१.२ संशोधन समस्या का शब्दांकन -

प्रस्तुत समस्या का शब्दांकन निम्नलिखित रूपसे किया गया है -

" मराठी माध्यमके माध्यमिक स्तरपर विद्यार्थियोंके हिन्दी उच्चारण और लेखनदोषोंका चिकित्सात्मक अभ्यास "

संशोधन अथवा अनुसंधान यह एक शास्त्रीय कार्य होनेके कारण विविध संज्ञाओंका प्रयोग करते समय एकही अर्थसे हमेशा करना चाहिए। इसलिए संशोधनमें प्रयोग किए संज्ञाकी व्याख्या करना आवश्यक माना जाएगा। प्रस्तुत समस्याके उपर्युक्त विधान में महत्वपूर्ण संज्ञाकी व्याख्या निम्नप्रकारसे की गई है।

मराठी माध्यम -

त्रिभाषासूत्रमें अपनी मातृभाषाको पहला स्थान दिया गया है। मातृभाषामें दी जानेवाली शिक्षा बच्चोंके व्यक्तित्व की सर्वांगिण उन्नतिकी, आधार-शिला होती है। हमारी मातृभाषा मराठी होनेके कारण मराठी माध्यममें जो अध्ययन-अध्यापन होता है, ऐसे स्कूलही प्रस्तुत संशोधनके लिए चुने गए हैं।

माध्यमिक स्तर -

वास्तविक माध्यमिक स्तर इस संज्ञामें पाँचवी से लेकर दसवी तककी कक्षाओंका समावेश होता है। तथापि हिन्दी विषय का अध्ययन-अध्यापन पाँचवी कक्षासे किए जानेके कारण शुरुआतमें हिन्दीकी ओर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना देना चाहिए। प्रस्तुत संशोधन विद्यार्थियोंके उच्चारण और लेखनदोषोंसे संबंधित होनेके कारण पाँचवी से सातवी तककी कक्षाओंका ही विचार किया गया है। क्योंकि प्रारंभिक अवस्थामेंही सीखनेमें आसानी होगी। तो आगे चलकर हिन्दी भाषा दोषोंका निराकरण किया जाए। इसलिए प्रस्तुत संशोधनके लिए माध्यमिक स्तर का अर्थ है, सिर्फ पाँचवी से सातवी तककी कक्षा। अर्थात पूर्वमाध्यमिक या उच्चप्राथमिक स्तर कहलाना ठीक होगा।

हिन्दी -

यह अपने देशकी सम्पर्क भाषा या राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा होनेके कारण पाँचवी कक्षासे महाराष्ट्रमें द्वितीय भाषाके रूपमें पढायी जाती है।

उच्चारण और लेखन दोष -

विद्यार्थियोंके हिन्दी उच्चारण और लेखनमें अनेक दोष दिखायी देते हैं। हिन्दी विषयके अध्ययन-अध्यापनमें बाधा निर्माण करनेवाले दोष, इसी अर्थसे यहाँ इसका प्रयोग किया गया है। उन दोषों के प्रकार तथा कारणोंका भी इसमें समावेश किया गया है।

चिकित्सात्मक अभ्यास -

इस समस्याका चिकित्सात्मक अभ्यास याने सूक्ष्म अंगोपांग, सविस्तर और समीक्षात्मक अभ्यास। यह ऐसा अभ्यास है, जो गुणदोष दिखाकर

गुणदोषोंका निराकरण करनेके लिए उपाय-योजना सुझाने के लिए उपयुक्त सिध्द हो ।

१.३ संशोधन विषयका महत्व और व्याप्ती :

महाराष्ट्र अहिन्दी प्रान्त होनेके नाते विद्यार्थीके शिक्षा-क्षेत्रमें उसकी अपनी मातृभाषा के बाद राष्ट्रभाषा आती है । महाराष्ट्रमें पाँचवी कक्षासे हिन्दी पढाई जाती है ।

माध्यमिक स्तरपर हिन्दी शिक्षाका उद्देश्य विद्यार्थी शुध्द हिन्दीमें बोल और लिख सकें, उसी प्रकार आसान हिन्दी विचारोंको ग्रहण कर सकें यह है । लेकिन आज हिन्दीकी स्थिति यह है कि इसमें मौखिक और लिखित दोनोंही कार्योंको विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है । उच्चारण और लेखनके संदर्भ में इसी कारण विद्यार्थी कमजोर रहते हैं ।

प्राचीन भारतमें शिक्षा मौखिक रूपसे प्रदान की जाती थी । इसलिए उन दिनों उच्चारणपर विशेष बल दिया जाता था । मौखिक शिक्षामें उच्चारणका विशेष महत्व होता है । शुध्द उच्चारणके संदर्भमें प्राचीन ग्रंथोंमें विशेष रूपसे लिखा गया है, यथा -

प्रकृतिर्यस्य कल्याणी दन्तौष्ठौ यस्य शोभनौ ।
प्रगल्भश्च विनीतश्च स वर्णान् वक्तुमर्हति ।।[१]

(याज्ञवल्क्य)

अभिप्राय यह है कि ' जिसकी प्रकृति अच्छी है, जिसके दाँत और ओष्ठ अच्छे हैं, वार्तालाप में प्रगल्भ और विनित है, वही वर्णोंका ठीक-ठीक उच्चारण कर सकता है । '

---

१. केशवप्रसाद ' हिन्दी शिक्षण ' धनपतराय एण्ड सन्स, दिल्ली, १९८५, पृ.क्र. ५९.

हिन्दी भाषा का ध्वनि तत्व वैज्ञानिक है। नागरी भाषामें प्रत्येक ध्वनिके लिए निश्चित अक्षर हैं और उनका सटीक उच्चारण है। उच्चारणपर बल न देने से उच्चारण दोष उत्पन्न होता है और भाषाका रूप विकृत होता है, उसका निश्चित रूप नहीं बन पाता।

शुध्द उच्चारण के अभावमें मौखिक भाषा अस्वाभाविक एवं प्रभावहीन हो जाती है। प्राय: हम जैसा उच्चारण करते हैं, या बोलते हैं, वैसा ही लिखते हैं। इस प्रकार लिखित भाषा में भी वे दोष आ जाते हैं। शब्दोंकी वर्तनी की अशुध्दता के कारण हमारा उच्चारण अशुध्द होता है। इस प्रकार शुध्द उच्चारण और लेखनका बडा महत्व है। भाषाका स्वरूप वही निखारता है।

उच्चारण और लेखन बाल्यावस्थासेही बनता-बिगडता है। इस कारण बालकोंको उच्चारण और लेखनपर विशेष बल देना चाहिए। हिन्दी शिक्षाकी नींव पाँचवी कक्षासेही डाली जाती है। अपनी प्रादेशिक भाषाके वातावरणमें रहते हुए ये विद्यार्थी अन्य विषयोंके साथसाथ हिन्दी पढते हैं। पाँचवी कक्षासेही हिन्दीका श्रीगणेश होनेके कारण पाँचवीसे सातवी यह निम्न माध्यमिक श्रेणीकी अवस्थामें विद्यार्थियोंके उच्चारण और लेखनदोषोंकी ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। विद्यार्थियोंके हिन्दी उच्चारण और लेखनकी ओर आरम्भमेंही अगर ध्यान दें तो आगे चलकर होनेवाली गलतियोंको हम रोक सकते हैं।

आज मराठी माध्यमके माध्यमिक स्कूलमें द्वितीय भाषाके रूपमें अध्ययन अध्यापन करते समय आनेवाली समस्याओंका सूक्ष्म निरीक्षण कर समस्या सुलझानेके लिए अच्छे अध्यापकोंकी आवश्यकता महसूस हो रही है।

विद्यार्थियोंमें और अध्यापकोंमें हिन्दी भाषाद्वारा जो कुछ विशेष क्षमता अपेक्षित है, उसकी ओर अगर दुर्लक्ष किया गया, तो हिन्दीका स्तर

घट सकता है । अगर इन समस्याओंपर कुछ उपाय सुझाए गए तो इन दुष्परिणामोंका निराकरण करनेमें मदद हो सकती है ।

दैनंदिन अध्ययन-अध्यापन कार्यमें हिन्दीका सतत, सहज एवं प्रभावी परस्पर व्यवहार करना है, तो इन समस्याओंके अभ्याससेही कुछ प्रभावी उपाय-योजना की जा सकती है ।

हिन्दी भाषा सीखनेमें विद्यार्थियोंको कई प्रकारकी कठिनाइयाँ होती हैं, शुध्द वाचन, शुध्द लेखन, व्याकरण संबंधी गलतियाँ इ. । विद्यार्थियोंके भाषासंबंधी दोषोंको दूर करनेके लिए उन दोषोंके वास्तविक रूपको जानना और उनके कारणोंकी खोज करना अत्यंत आवश्यक है ।

हिन्दी उच्चारण तथा लेखन संबंधित निर्माण होनेवाली समस्याओंपर सुझाये गए इलाज अथवा उपाय हिन्दीका अध्ययन-अध्यापन करनेवालोंको निश्चित रूपसे मार्गदर्शन कर सकेंगे ।

१.४ संशोधनसे संबंधित संशोधन-साहित्यका समालोचन :-

प्रस्तुत विषयसे संबंधित संशोधनात्मक अभ्यासका शोध लेनेकी दृष्टिसे निम्नलिखित ग्रंथोंका अवलोकन किया गया ।

१) दि सेकंड सर्व्हे ऑफ रिसर्च इन् एज्युकेशन (१९७२-१९७८), संपादक डॉ. एम.बी. बुच, सोसायटी फॉर एज्युकेशनल रिसर्च अॅन्ड डेव्हलपमेंट, बरोडा.

इस ग्रंथमें प्रस्तुत विषयसे संबंधित निम्न विषयपर संशोधन किए जानेका उद्देश्य है । इसके शीर्षक इसप्रकार हैं -

a) Mistakes in Written Hindi and Try out of Remedial Measures, Ph.D. Edu., Agra U., 1978 (Page No. 294).

उपर्युक्त संशोधन मातृभाषा हिन्दीके संदर्भमें है, और प्रस्तुत शोधप्रबंध द्वितीय भाषा हिन्दीके संदर्भमें किया गया है ।

b) A Study of the Problems and Difficulties of Hindi, English and Sanskrit Language Teaching at Secondary Stage, Ph.D. Edu. Sag. U., 1969 (Page No. 297).

c) A Critical Study of Hindi Composition of the students of VIII, IX and X of Hindi Medium Secondary Schools of Greater Bombay with a view to improve their Linguistic Expression, Ph.D. Edu., SNDT, 1977 (Page No. 304).

यह संशोधनभी प्रथम भाषा हिन्दीके संदर्भमें है ।

d) Methods and Means of Teaching Hindi, Ph.D. Edu., Bih. U., 1971.

e) कॉम्प्रेन्डीयम ऑफ रीसर्च, डॉक्टोरल थिसिस, शिवाजी युनिव्हर्सिटी, कोल्हापूर, १९६२-८७ (बॅरिस्टर बाळासाहेब खराडेकर लायब्ररी) १९८७.

२) एज्युकेशनल रिसर्च इन युनिव्हर्सिटीज इन महाराष्ट्र प्लॅटिनम ज्युबिली इयर व्हाल्यूम, संपादक डॉ. एन.के. पाटोळे, एस.टी. कॉलेज, मुंबई, १९८३.

इस ग्रंथमें प्रस्तुत विषयसे संबंधित निम्न शीर्षक के संशोधनका उल्लेख किया है -

A Study of Hindi Composition of Pupils Stds. IX and X of Hindi Medium Secondary Schools of Greater Bombay with a view to improving their Written Expression (Page No. 17).

इसके अतिरिक्त निम्न ग्रंथोंका अवलोकन किया :

३) दि थर्ड इंडियन इयर बुक ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च, एन(सी. ई.आर.टी., न्यु दिल्ली.

४) दि सर्व्हे ऑफ रिसर्च इन एज्युकेशन, संपादन डॉ. एम.व्ही. बूच, सेंटर ऑफ ॲडव्हान्स स्टडी इन एज्युकेशन, दि एम.एस. युनिव्हर्सिटी, वरोडा.

५) एज्युकेशनल इनव्हेस्टिगेशन इन इंडियन युनिव्हर्सिटीज (१९३९-१९६१), एम.सी.ई.आर.टी., न्यु दिल्ली.

६) एज्युकेशनल इनव्हेस्टिगेशन इन युनिव्हर्सिटीज इन महाराष्ट्र (१९३९-१९७०) स्टेट इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन, पुणे-३०.

७) एज्युकेशनल रिसर्च इन दि युनिव्हर्सिटी ऑफ बॉम्बे, संपादिका डॉ.(सौ.) प्रतिमा देव, डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन, युनिव्हर्सिटी ऑफ बॉम्बे, १९८१.

८) भाषा और साहित्य : संशोधन (१९८१) संपादक डॉ. वसंत स. जोशी, महाराष्ट्र राज्य परिषद, पुणे-३०.

उपर्युक्त ग्रंथोंका ठीक तरहसे अवलोकन करनेपर प्रस्तुत संशोधन विषयसे संबंधित ऐसा संशोधन आजतक नहीं किया गया, ऐसा दिखाई दिया । इसीलिए इस विषयका संशोधन नाविन्यपूर्ण है, ऐसा कहना उचित होगा ।

१.५ संशोधनका उद्देश्य :

१) माध्यमिक स्कूलके विद्यार्थी हिन्दी भाषामें उच्चारणकी कौनसी गलतियाँ करते है, इसकी जाँच करना ।

२) माध्यमिक स्कूलके विद्यार्थी हिन्दी भाषामें लेखनकी कौनसी गलतियाँ करते हैं, इसकी जाँच करना ।

३) उच्चारण दोषोंकी कारण मीमांसा करना ।

४) लेखन दोषोंकी कारण मीमांसा करना ।

५) उच्चारण संबंधी दोषोंका निराकरण करनेके लिए कुछ उपाय सुझाना ।

६) लेखन संबंधी दोषोंका निराकरण करनेके लिए कुछ उपाय सुझाना ।

१.६ संशोधन पध्दति :

प्रस्तुत संशोधन वर्तमान परिस्थितीसे संबंधित होनेके कारण सर्वेक्षणात्मक पध्दतिका उपयोग किया है । इस विषय समस्याके संदर्भमें वर्तमान स्थिति कौनसी है, यह समझ लेनेके लिए यह पध्दति उपयुक्त साबित हुयी है ।

इस पध्दतिद्वारा प्राप्त सामग्रीका संकलन, वर्णन, स्पष्टीकरण और मूल्यांकन कर योग्य बदलावके लिए उपाय सुझाने का प्रयास किया है ।

प्रस्तुत शोधप्रकल्प दो विभागोंमें बाँटा जाता है ।

१) हिन्दी भाषामें होनेवाले उच्चारण और लेखनदोषोंकी कारणमीमांसा करना ।

२) उन कारणोंका निराकरण करके उनपर उपाय सुझाना ।

पहले विभागमें और चार उपविभाग किए हैं ।

पहले उपविभागमें विद्यार्थियोंके उच्चारण दोष जाननेके लिए उच्चारण दोषोंके प्रकार उनके कारण और उपायोंसे संबंधित प्रश्नावली द्वारा और अध्यापक साक्षात्कार (इण्टरव्हयू) द्वारा उच्चारण दोषोंका परामर्श लिया है ।

दूसरे उपविभागमें उच्चारण दोष जाननेके लिए विद्यार्थियोंका (`ब` श्रेणी स्कूलके) वाचन टेपरिकार्डरपर ध्वनिमुद्रित किया गया । अर्थात पाँचवी से सातवी कक्षाके विद्यार्थी इसके लिए चुने थे । लगभग पैंतालिस विद्यार्थियोंका वाचन ध्वनिमुद्रित किया गया । इससे उच्चारण दोष ढूँढनेमें मदत हुअी ।

तीसरे उपविभागमें विद्यार्थियोंके लेखन दोष जाननेके लिए लेखन दोष प्रकार, कारण और उपायोंसे संबंधित प्रश्नावलीद्वारा और अध्यापक साक्षात्कार (इण्टरव्हयू) लेखन गलतियोंका परामर्श लिया है ।

चौथे उपविभागमें लेखन-दोष ढूँढनेके लिए पाँचवी से सातवी कक्षाके विद्यार्थियोंका निबंध लेखन दिया था, अर्थात उनका शब्दभंडार, कक्षास्तरके अनुसार विषय चुना था ।

प्रस्तुत संशोधनके संदर्भमें हिन्दी विषयका अध्यापन करनेवाले अध्यापकोंको दी गयी प्रश्नावली परिशिष्ट `अ` में दी है । इस प्रश्नावलीमें कुल १४ प्रश्न थे । उनमें कुछ बध्द स्वरूपके तो कुछ युक्त स्वरूपके और संमिश्र स्वरूपके की थे । संबंधित अध्यापकोंको दिए गए प्रश्नावलीका विश्लेषण आगे दिए गए सारणीद्वारा किया गया है ।

सारणी क्रमांक १.१

माध्यमिक स्कूलमें हिन्दीका अध्यापन करनेवाले अध्यापकोंके लिए गए प्रश्नावलीका विश्लेषण

अनुक्रम	प्रश्न क्रमांक	प्रश्न का स्वरूप	प्रश्न का उद्देश्य
१.	१ से ७	[illegible]	अध्यापकोंकी सर्वसाधारण जानकारी, अध्यापकोंसे संपर्क पानेकी दृष्टिसे।
२.	८	संमिश्र	विद्यार्थियोंके उच्चारण दोष-प्रकारों की जानकारी लेना।
३.	९	संमिश्र	उच्चारदोषोंके कारण जानना।
४.	१०	संमिश्र	विद्यार्थियोंके उच्चारणदोषोंका निराकरण करनेकी दृष्टिसे उपाययोजना जान लेना।
५.	११	संमिश्र	विद्यार्थियोंके लेखन दोष प्रकारोंकी जानकारी लेना।
६.	१२	संमिश्र	लेखन दोषोंके कारण जानना।
७.	१३	संमिश्र	विद्यार्थियोंके लेखनदोषोंकी निराकरण करनेकी दृष्टिसे उपाय-योजना जान लेना।
८.	१४	मुक्त	प्रश्नावलीमें दी न जानेवाली, परन्तु प्रस्तुत संशोधनसे संबंधित उपयुक्त जानकारी जान लेना।

उपर्युक्त प्रश्नावलीके स्वरूप द्वारा मराठी माध्यमके माध्यमिक स्तरपर हिन्दी अध्यापन करनेवाले अध्यापकोंसे इकठ्ठा की गई जानकारीकी सही जाँचके लिए संशोधकने अनेक स्कूलोंको समयानुसार प्रत्यक्ष भेंट देकर निरीक्षण कर, संबंधित अध्यापकोंसे चर्चा की है।

प्रश्नावली, निबंधलेखन, टेपरिकार्डरपर ध्वनिमुद्रित किया वाचन, निरीक्षण उसीप्रकार प्रत्यक्ष कार्यस्थल जाकर चर्चा और इण्टरव्यूद्वारा जो जानकारी प्राप्ती की, उस जानकारी का विश्लेषण कर, उसका अन्वयार्थ उस उस प्रकरणमें लानेका प्रयास किया गया है।

उसी तरह उस अन्वयार्थ के आधारपर योग्य ऐसे निष्कर्ष स्पष्ट कर, निष्कर्षोंका एकत्र सूत्रबध्द विचार कर, प्रस्तुत समस्याके संदर्भमें कौनसी उपाय-योजना की जा सकेगी, और आवश्यक है, यह भी स्पष्ट किया गया है।

१.७ संशोधन की मर्यादा :

प्रस्तुत संशोधन कोल्हापूर महानगरपालिकाके क्षेत्र तक ही मर्यादित है। इस संशोधनमें इस शहरके अंतर्गत आनेवाले पैंतालिस मराठी माध्यमके माध्यमिक स्कूलका समावेश है।

(कोल्हापूर महानगरपालिका का क्षेत्र और उस क्षेत्रमें आनेवाले माध्यमिक स्कूल इसका नक्शा अगले पृष्ठपर दिया गया है।)

उपर्युक्त स्कूलके पाँचवी से सातवी कक्षातक के विद्यार्थियों तक ही प्रस्तुत संशोधन मर्यादित है। प्रस्तुत संशोधन शैक्षणिक वर्ष १९८७-८८ इस वर्ष तक ही मर्यादित है।

प्रस्तुत संशोधन में मराठी माध्यम के माध्यमिक स्तरपर विद्यार्थियोंके उच्चारण और लेखनदोषोंसे संबंधित समस्याका विचार किया है।

१.८ प्रकरणीकरण :

प्राप्त सामग्रीका निम्नलिखित प्रकरणोंमें विभाजन किया गया है।

कोल्हापूर महानगरपालिका का क्षेत्र और उस क्षेत्रमें आनेवाले माध्यमिक स्कूल्स –

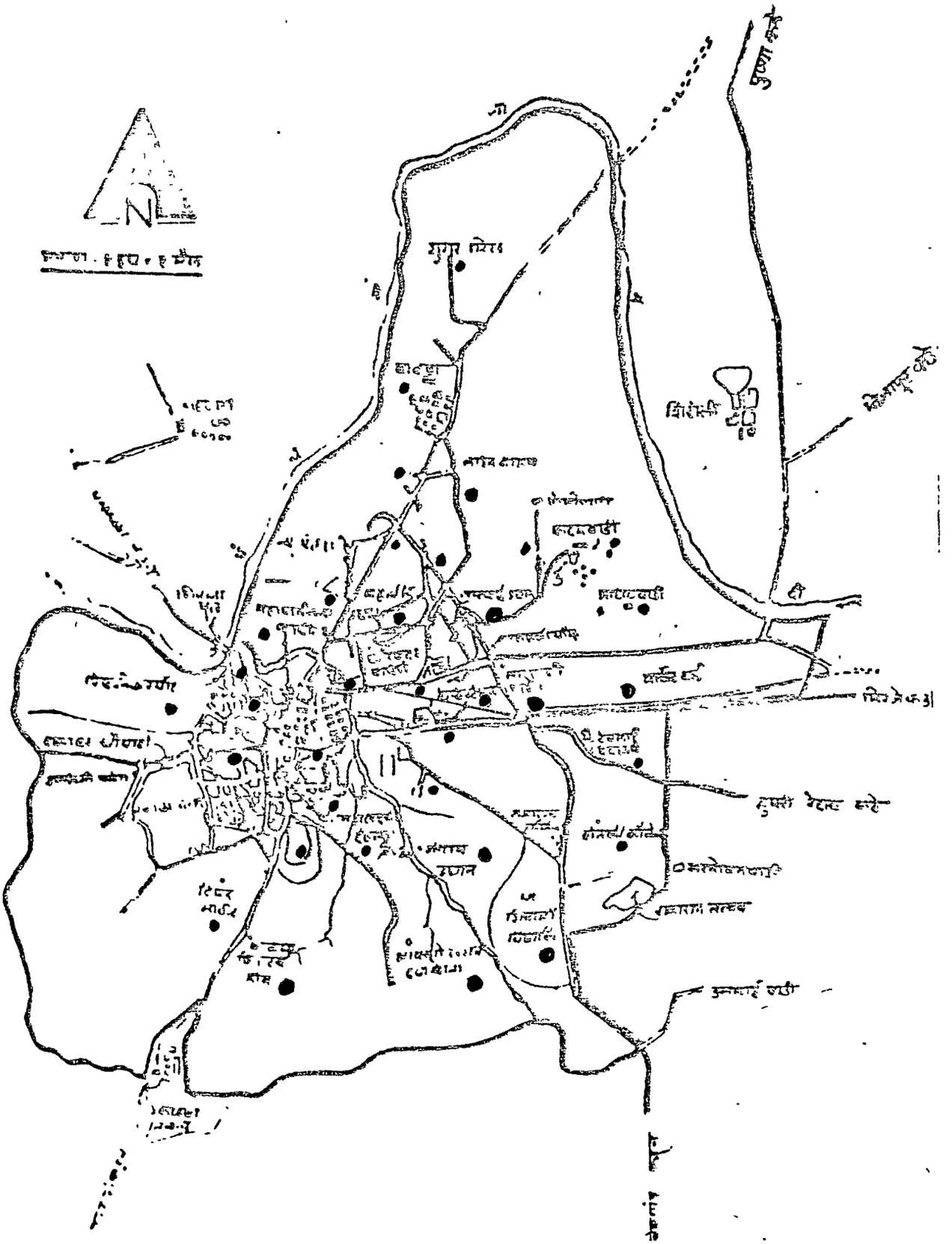

• माध्यमिक स्कूल्स

१) प्रस्तावना -

इस प्रकरणमें प्रस्तुत समस्या कैसे निर्माण हुयी इसके बारेमें चर्चा की गयी है। संशोधनका महत्व, मर्यादा, स्पष्ट करके कौनसी संशोधन पध्दति उपयोगमें लायी जानेवाली है, इसके बारेमें जानकारी दी गई है। संक्षेपमें, यह प्रकरण संशोधनकी पार्श्वभूमि स्पष्ट करनेवाला है।

२) माध्यमिक स्तरपर राष्ट्रभाषा हिन्दीका अध्ययन-अध्यापन -

माध्यमिक स्तरपर राष्ट्रभाषा का अध्ययन करते समय उच्चारण और लेखनमें कौनसे दोष पाये जाते हैं, यह संशोधन का विषय होनेके कारण राष्ट्रभाषा हिन्दी का महत्व, द्वितीय द्वयम् भाषाके रूपमें हिन्दी पढानेका उद्देश, हिन्दी का अध्यापक, हिन्दीकी अध्यापन पध्दतियाँ आदि बातोंका समावेश इसके अंतर्गत किया गया है।

३) विद्यार्थियोंके उच्चारण दोष और उनके कारणोंका अभ्यास :-

इस प्रकरणमें ५ वी से ७ वी कक्षातकके विद्यार्थी हिन्दी भाषामें उच्चारण की कौनसी गलतियाँ करते हैं, और उसके कारण क्या हैं ? इसके बारेमें चर्चा की गई है।

४) विद्यार्थियोंके लेखनदोष और उनके कारणोंका अभ्यास :-

इस प्रकरणमें ५ वी से ७ वी कक्षातकके विद्यार्थी हिन्दी भाषामें लेखन की कौनसी गलतियाँ करते हैं, और उसके कारण क्या है ? इसके बारेमें चर्चा की गई है।

५) निष्कर्ष और सुझाव -

इस प्रकरणमें उपयुक्त ३ और ४ प्रकरणद्वारा प्राप्त सामग्रीका सिंहावलोकन कर निष्कर्ष निकाले हैं, और उसपर उपाययोजना सुझानेका प्रयास किया है।

" प्रान्तीय भाषाओं के स्थान पर नहीं अपितु उसके सिवा अन्तरप्रान्तीय विनिमय के लिए राष्ट्रभाषा समस्त भारत के लिए आवश्यक है। वह भाषा हिन्दी ही है। "

- महात्मा गाँधी